



रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 153 अलवर, 2009 - 2010

यह प्रमाणित किया जाता है कि गैलेक्सी इन्फो एजुकेशनल

टेक्नोलॉजी संस्थान कठुमार जिला अलवर का

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम नं. 28, 1958) के

अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक तेरह

माह अगस्त सन् 2009-2010 को अलवर में दिया गया।




रजिस्ट्रार संस्थाये
अलवर


प्रधानाचार्य
गैलेक्सी विद्या मन्दिर
उ०मा०वि० कठुमार (अलवर)
1021772


Secretary

Galaxy Infoeducation Technologic
Kathumar (Alwar) Rai.